

Role of cooperative movement in the development of India

भारत के विकास में सहकारी आंदोलन की भूमिका

भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम के समय ही पड़ चुकी थीं। वर्ष 1904 में जब प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ, तब इसने ग्रामीण भारत को एक नवजीवन देने का कार्य किया। वर्ष 1912 में संशोधित अधिनियम और 1915 में मैक्लेगन समिति की संस्तुतियों ने इसे और सुदृढ़ किया। गांधीजी के समाजवादी दर्शन में सहकारिता को केंद्र में रखकर विकेंद्रीकृत शासन की संकल्पना की गई, जहां गांव आत्मनिर्भर बनें और आर्थिक विषमताएं समाप्त हों। उनकी दृष्टि में सहकारिता केवल एक आर्थिक उपक्रम न होकर एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तब सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण विकास का मेरुदंड मानते हुए इन्हें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और औद्योगिक विकास से जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन (2011) ने सहकारिता को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्थान दिया और इसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया। वर्ष 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने इस आंदोलन को एक नई गति प्रदान की।

सहकारी समितियां केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रहकर सामाजिक पुनरुत्थान का आधार भी बनी हैं। गुजरात का अमूल माडल हो या महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियां, इनकी सफलता ने न केवल लाखों लोगों को रोजगार दिया, बल्कि महिला सशक्तीकरण को भी बल प्रदान किया। सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक आत्मा तभी जीवित रह सकती है, जब निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। सहकारी बैंकों और संस्थानों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ना, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना और जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। सहकारिता के क्षेत्र में अमूल एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसने 36 लाख दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक संस्था है, जिसने किसानों को उर्वरक व कृषि संसाधन उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी। महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियां लाखों लोगों को रोजगार देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी प्रदान कर रही हैं।

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहकारी आंदोलन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल क्रांति के इस युग में जब पारंपरिक आर्थिक व्यवस्थाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कारपोरेट जगत के प्रभुत्व में सिमटती जा रही हैं, सहकारिता उन लाखों-करोड़ों किसानों, कारीगरों, लघु उद्यमियों और श्रमिकों के लिए एक संरक्षक के रूप में उभर सकती है, जो अब भी आर्थिक हाशिए पर खड़े हैं। सहकारिता वह अमृत है जो भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को जीवनदान देता है। सहकारी आंदोलन केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति है, जो गांव-गांव में स्वावलंबन की मशाल जलाकर एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर है। इस पथ पर बढ़ते हुए, हमें इस आंदोलन को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि सहकारिता का प्रकाश हर घर, हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचे। सहकारिता महज एक आर्थिक तंत्र नहीं, बल्कि समाज को एक सूत्र में पिरोने की वह कड़ी है, जहां 'सबका साथ, सबका विकास' की संकल्पना साकार होती है। (कैलाश बिश्नोई)

A new era of cooperation begins



कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के
जानकार

सहकारी विश्वविद्यालय

सहकारिता के एक नए युग का आरंभ

सहकारिता को संस्थागत शक्ति देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए संसद ने 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक' पारित कर दिया है। यह देश का पहला ऐसा विधेयक होगा, जो सालाना लगभग आठ लाख प्रशिक्षित सहकारी प्रोफेशनल तैयार करेगा। इन प्रशिक्षुओं की भागीदारी से स्वरोजगार और लघु उद्यमिता को एक नई ऊर्जा मिलेगी। यह विधेयक केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि सहकारिता आंदोलन को पाठ्यक्रम में समाहित कर आत्मनिर्भरता और समावेशी आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।



गुजरात के आणंद में स्थापित किया जाएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय।

फाइल

किसी राष्ट्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव तब ही सुदृढ़ हो सकती है, जब उसकी ग्रामीण चेतना शिक्षित, संगठित और समर्पित हो। भारत में सहकारिता आंदोलन इसी आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम रहा है, जिसने समय-समय पर किसानों, श्रमिकों, महिला समूहों और छोटे व्यापारियों को एक मंच पर लाकर सामूहिक विकास की राह दिखाई है। इसी कड़ी को और अधिक संस्थागत, शिक्षाप्रद और वैज्ञानिक आधार देने के उद्देश्य से त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा, न केवल सहकारी क्षेत्र की भावी रूपरेखा को परिभाषित करती है, बल्कि यह भारत के ग्रामीण पुनर्जागरण की एक नवीन दिशा भी प्रस्तुत करती है। यह विधेयक केवल शैक्षणिक संस्था नहीं, अपितु सहकारिता के विचार को तकनीक, नवाचार और नेतृत्व से जोड़ने वाला युगांतकारी केंद्र होगा।

सहकारिता भारतीय समाज की वह धारा है, जो व्यक्तियों को परस्पर जोड़ती है, उन्हें साझा प्रयासों से सुजनशीलता की ओर प्रवृत्त करती है और आर्थिक सुदृढ़ता को केवल मुट्ठीभर पूंजीपतियों तक सीमित न रखते हुए जनसामान्य के बीच वितरित करती है। त्रिभुवन सहकारी विधेयक इसी सिद्धांत का मूर्त रूप है, जिसमें केवल शैक्षिक अनुशासन का समावेश नहीं, अपितु व्यावहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी विकास एवं प्रशासनिक दक्षता का भी समुचित समावेश होगा। यह विधेयक सहकारी आंदोलन के प्रणेता त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर स्थापित हो रहा है, जिनकी दूरदृष्टि ने भारत को अमूल जैसा सफल सहकारी माडल दिया।

किंतु यह मात्र एक शिक्षण संस्थान न होकर सहकारी चेतना का नवीन केंद्र बनेगा, जो पारंपरिक शैक्षिक ढांचों से अलग, ग्रामीण भारत के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा। स्वरोजगार की अवधारणा, जो सहकारिता की आत्मा है, इस विधेयक के माध्यम से वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक रूप से बलवती होगी। नवाचार की संभावनाएं केवल सूचना तकनीक या महानगरीय उद्योगों तक सीमित न रहकर, कृषि, डेयरी, कुटीर उद्योग के लिए भी उन्नत होंगी।

आर्थिक विषमता का समाधान : वर्तमान में जब बाजार-प्रधान अर्थव्यवस्था सामाजिक असमानता को जन्म दे रही है और पूंजी का केंद्रीकरण आर्थिक विषमता को गहरा कर रहा है,

तब सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित यह विधेयक एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करता है। यह भारत के उन गांवों तक पहुंच बनाएगा, जो अब तक अकादमिक शिक्षा के परंपरागत केंद्रों से वंचित रहे हैं। जब प्रत्येक जिले में इससे संबद्ध शिक्षण संस्थान खुलेंगे और सहकारी प्रबंधन के पाठ्यक्रमों को 10वीं-12वीं के स्तर से ही लागू किया जाएगा, तब सहकारिता केवल एक आर्थिक संरचना न रहकर सामाजिक उत्थान का आधार भी बनेगी। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह विधेयक सहकारी शिक्षा को कारपोरेट माडल की चुनौती देने योग्य बनाएगा? इसका उत्तर स्पष्ट है— सहकारिता पूंजीवाद के खिलाफ नहीं, अपितु उसके मानवीय विकल्प के रूप में विकसित हो सकती है। जहां एक ओर पूंजीवाद श्रम और पूंजी के मध्य खाई उत्पन्न करता है, वहीं सहकारिता उत्पादन के साधनों को समाज के हाथों में सौंपती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह विधेयक केवल शिक्षण संस्थान नहीं, अपितु आर्थिक स्वराज्य का प्रतीक होगा।

गुजरात के आणंद में स्थापित यह विधेयक अमूल की सफलता को दोहराने के साथ, सहकारी नवाचारों के नए प्रतिमान स्थापित करेगा। यह केवल डेयरी एवं कृषि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सहकारी स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे युवा उद्यमिता का नया अध्याय प्रारंभ होगा। हर वर्ष आठ लाख प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र में प्रविष्ट होंगे, तब यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह विधेयक ग्रामीण भारत के लिए विकास की नई संहिता प्रस्तुत करेगा।

चुनौतियां : सहकारिता का आदर्श, जो पारस्परिक सहयोग और सामाजिक समृद्धि का पोषक है, प्रायः वैश्विक

अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी आग्रहों से टकराता है। त्रिभुवन सहकारी विधेयक को इस द्वंद्व से जुझते हुए सहकारी शिक्षा को इस प्रकार ढालना होगा कि आधुनिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। यह सुनिश्चित करना अत्यंत जटिल होगा कि सहकारी प्रबंधन का शिक्षण पारंपरिक एमबीए और कारपोरेट शिक्षा माडल के समकक्ष खड़ा हो, जिससे सहकारी शिक्षा को द्वितीयक विकल्प मानने की प्रवृत्ति समाप्त हो। सहकारिता का आत्मा सामूहिकता में निवास करता है, किंतु यदि इसे केवल एक वैचारिक संकल्पना के रूप में देखा जाए और आर्थिक, कानूनी व नीतिगत सहायता से वंचित रखा जाए, तो इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन निष्फल सिद्ध होगा। सहकारी उद्यमों को प्रारंभिक पूंजी, तकनीकी नवाचार, बाजार प्रतिस्पर्धा और प्रशासनिक दक्षता से जोड़े बिना यह विधेयक केवल अकादमिक केंद्र बनकर रह जाएगा। इस चुनौती का समाधान बिना राज्य और निजी क्षेत्र के सहयोग के संभव नहीं होगा।

किसी भी शैक्षिक संस्थान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने नवीन शोध प्रस्तुत करता है और कितनी नवीन तकनीकों को अपने पाठ्यक्रम में समाहित करता है। भारत में सहकारी अनुसंधान अभी तक अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इस विधेयक को सहकारी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान सुविधाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल शिक्षण साधन उपलब्ध कराने होंगे, जिससे सहकारी क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु भारत को सशक्त किया जा सके।

सहकारिता को महज सामाजिक सेवा

की अवधारणा न मानते हुए, इसे एक समृद्ध करियर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना विधेयक के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा। जब तक सहकारी शिक्षा से प्रत्यक्ष लाभ और दीर्घकालिक व्यावसायिक

संभावनाएं स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक युवा इसे केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था मानते रहेंगे। इस समस्या का समाधान सहकारी शिक्षा के प्रति मानसिकता परिवर्तन द्वारा ही संभव होगा, जिसके लिए सरकार

और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। यदि यह विधेयक सतत नवाचार और दृढ़ नीतिगत दृष्टिकोण अपनाए, तो यह भारत में सहकारी आंदोलन का नया स्वरूप गढ़ने में सक्षम होगा।
